

RBE No.05/2020

PCPO's Sl.No.10/2020

No .E/210/O/ECR/HJP

Dated:-03.02.2020

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Amendment to IREM Volume - I


संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.E(GP)2005/2/69 Dated: 16.01.2020.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.



(सौरभ सादर) 2.2.2020

वकाधि/ ई.एस.एम  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ई.सी.आर.के.यू./ पू.म.रे./ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे./ हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे./ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी. एशोसिएशन/ पू.म.रे./ हाजीपुर।

महानिदेशक (प्रशासन) कार्यालय  
पूर्व-मध्य रेल, धर्मपुर

72 JAN 2020

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 14

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

000979  
24 JAN 2020

RBE No. 05 /2020

No. E(GP)2005/2/69

The General Managers,  
All Indian Railways and Production Units.

New Delhi, dt :-/16.01.2020

**Sub: Amendment to IREM Volume I**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that the Indian Railway Establishment Manual Vol. I, Revised Edition-1989 (First Re-print Edition-2009), may be amended as in the Advance Correction Slip No. 271 enclosed.

M. Saluja  
16/01/20  
(Meenakshi Saluja)  
Dy. Director/Estt.(GP)III  
Railway Board

DA: Advance Correction Slip No. 271

PCPO ✓  
PFA

*[Handwritten signatures and stamps]*  
14/1/2020  
24/01/2020  
E.C.R

300  
22072020

*[Handwritten signature]*  
3/2

*Ruling*

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL  
VOL. I (Revised Edition-1989, First Re-print Edition-2009)

ADVANCE CORRECTION SLIP No. 271

Chapter II, Section 'A'---Rules governing promotion of Group 'C' staff to Group 'B' posts.

1. Para 203.1

For the existing para 203.1, substitute the following:

Group 'C' employees working in Level 6 and above in Pay Matrix with 3 years of non-fortuitous service in Level 6 and above in Pay Matrix (including non-fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grade pay) are eligible for Group 'B' Selections(70% quota) in the departments having organised services.

For Selections for promotion to Group 'B' posts in Accounts department, Group 'C' employees fulfilling the abovementioned condition should also have qualified the Appendix-3 IREM Examination.

*(Authority: Ministry of Railways' letter Nos. E(GP) 2019/2/25 dated 27.12.2019)*

-3-

भारत सरकार/Government Of India  
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways  
(रेलवे बोर्ड)/(Railway Board)

\*\*\*\*\*

आरबीई सं. 05/2020

सं. ई(जीपी)2005/2/69

नई दिल्ली, दिनांक :- 16.01.2020

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

**विषय : भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1 में संशोधन.**

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1, संशोधित संस्करण-1989 (प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009), में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं 271 के अनुसार संशोधन किया जाए.

मीनाक्षी

(मीनाक्षी सलूजा)

उप निदेशक/स्था(राज. पदो.)III

रेलवे बोर्ड

संलग्न : अग्रिम शुद्धि पर्ची सं 271

4/10/20

-4-

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1  
(संशोधित संस्करण-1989, प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 271

अध्याय II, खंड 'क' --- समूह 'ग' कर्मचारियों की समूह 'ख' पदों पर पदोन्नति को शासित करने वाले नियम.

1. पैरा 203.1

मौजूदा पैरा 203.1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

समूह 'ग' के वे कर्मचारी, जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 6 या उससे उपर के लेवल में 3 वर्ष की अनाकस्मिक सेवा की हो (तदनुसूची पूर्व संशोधित ग्रेड पे में की गई अनाकस्मिक सेवा सहित) तथा पे मैट्रिक्स के लेवल 6 या उससे उपर के लेवल में कार्यरत हैं, संगठित सेवाओं वाले विभागों में समूह 'ख' में चयन (70% कोटा) हेतु पात्र हैं।

लेखा विभाग में समूह 'ख' में पदोन्नति के लिए चयन हेतु, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले समूह 'ग' कर्मचारियों को परिशिष्ट-3 भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1 परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दिनांक 27.12.2019 का पत्र सं. ई(जीपी) 2019/2/25)

B  
24/11/2019